दिनांक–29.07.2025 (मंगलवार) को 01:00 बजे अपराह्न से माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री की अध्यक्षता में अन्य राज्यों से रेल रैक से पत्थर मंगवाकर व्यवसाय करने वाले मध्यम भंडारण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– संलग्न–

1. पत्थर व्यवसायियों द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0–4374/एम0, दिनांक 16.10.2024 द्वारा प्रख्यापित बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 के अनुसार नियम–39(1)(ख) में वर्णित शर्त्तों में से धर्मकाँटा को विभागीय पोर्टल से एकीकृत करने की बाध्यता से मध्यम अनुज्ञप्तिधारियों को विमुक्त करने का अनुरोध किया गया।
2. धर्मकाँटा को विभागीय पोर्टल से एकीकृत करने में होने वाली समस्या के समाधान के लिए तीन सदस्यीय समिति, जिसमें श्री आनंद प्रकाश, सहायक निदेशक (मु0), श्री राजेश कुमार कुशवाहा, सहायक निदेशक, शेखपुरा एवं श्री सर्वेश कुमार सम्भव, खनिज विकास पदाधिकारी, सारण रहेंगे, गठित करने का निदेश दिया गया। त्रि–सदस्यीय समिति को K-लाईसेंस के वर्तमान शर्त्त एवं बंधेजों की समीक्षा करने का भी निदेश दिया गया। समिति की रिपोर्ट आने तक वर्तमान व्यवस्था बरकरार रखने का निदेश दिया गया।
3. सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को बिहार राज्य में अन्य राज्यों से आने वाली लघु खनिज लदे वाहनों का नियमित रूप से सघन जाँच करने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(विजय कुमार सिन्हा)
उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री

ज्ञापांक :– 4565/एम0, पटना, दिनांक :– 18/08/25

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0/क्षे0)/आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद दूहन) 18/8/25
निदेशक,
खान एवं भूतत्व विभाग